

जिला नीमच मध्यप्रदेश
-- ग्राम सभा का सहमति पत्र --

प्रमाणित किया जाता है कि --

कार्यपालक अधिकारी जल संसाधन विभाग (आवेदक विभाग का नाम) ज. संसाधन की कार्यपालिका द्वारा

(परियोजना का नाम) में (कार्य का नाम) बौद्ध विमर्श का कार्य किया जाना

प्रस्तावित है, मैंने पंचायत क्षेत्र के ग्राम के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन

खण्ड के कक्ष क्रमांक में राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक में है।

उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम

सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयों की ग्राम सभा के

समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक

16.08.18 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र

पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया

गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

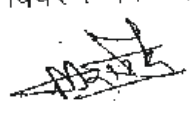
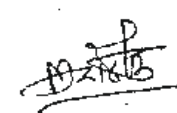
वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के

विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद्वारा उक्त कार्य पर अपना

अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक



हस्ताक्षर/सहमति सहित

टीप :- प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा सहमत हो तभी यह प्रमाण पत्र जारी किया जाये। यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण पत्र न जारी किया जाये।